

समाचार.प्रकाशनार्थरू.

निगम के करो की बकाया वसूली मार्च तक 100 प्रतिषत करें.श्री झारिया निगम अधिकारी एवं कर्मचारियों को बैठक में दिये निर्देश बैठक में राजस्व विभाग के अनुपस्थित 3 कर्मचारियों का वेतन काटा

रतलाम 7 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम के संपत्तिकरए जलकरए राजस्वए लायसेंसए विकास षाखा आदि विभागों की बकाया वसूली की समीक्षा बैठक लेकर मार्च 2022 तक 100 प्रतिषत बकाया वसूली किये जाने के निर्देश दिये।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने संपत्तिकर बकाया वसूली की जानकारी लेकर निर्देशित किया कि ऐसे भवन स्वामी जिनके द्वारा विवरणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का भवन नपती के बाद प्राप्त हुआ है उन्हे अंतर की राशि का पांच गुना अधिभार का बिल प्रस्तुत कर राशि वसूल की जाये। इसके अलावा औधोगिक क्षेत्र का सर्वे कर संबंधितो से विवरणी भरवाई जाकर संपत्तिकर राशि का बिल दिया जाये।

जलप्रदाय विभाग की समीक्षा करते हुए निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया 10 हजार से अधिक की राशि वाले बकायादार यदि बकाया राशि नहीं जमा कराते है तो 8 फरवरी से उनके नल संयोजन विच्छेद की कार्यवाही की जाये। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि अवैध से वैध नल संयोजन की कार्यवाही नियमानुसार की जाये ताकि नगर में अवैध नल संयोजनों को समाप्त किया जा सकें।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने राजस्व विभाग की बकाया वसूली की समीक्षा करते हुए निर्देशित किया कि ऐसे दुकानदार जिनकी बकाया राशि 10 हजार से अधिक है उनसे बकाया राशि वसूल की जाये अन्यथा उनकी दुकाने सील करने की कार्यवाही 8 फरवरी से प्रारंभ की जाये। आयोजित बैठक में अनुपस्थित सहायक राजस्व उप

निरीक्षक श्री विजय कपूरए स्थायीकर्मि मुकेश मेहता व आनन्द नीमा का एक दिवस का वेतन काटा जाकर कारण बताओ सूचना.पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

लायसेंस विभाग की बकाया वसूली की समीक्षा के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि नगर में बिना लायसेंस दुकान संचालित करने वालों का सर्वे प्रारंभ किया जाये। इसके अलावा विकास शाखा की संपत्तियों के डाक्यूमेंटेशन का कार्य किये जाने व कम्पाउडिंग के नोटिस जारी के निर्देश संबंधितों को दिये।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकीए कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यासए श्री मोहम्मद हनीफ़ शेखए स्वास्थ्य अधिकारी श्री जीण्केण जायसवालए सहायक यंत्री श्री श्याम सोनीए श्री सत्यप्रकाश आचार्यए उपयंत्री सर्वश्री सुहास पंडितए बीण्एलण चौधरीए राजेश पाटीदारए सुश्री दीक्षा निजामपुरकर सहित संबंधित विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे।

सीवरेज ट्रीटेड पानी का पुर्नउपयोग ;रियूजद्ध प्रारंभ

नागरिक भवन निर्माणए सिंचाई आदि के उपयोग में नगर निगम से न्यूनतम दर पर क्रय कर सकते है ट्रीटेड पानी

रतलाम 7 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार खेतलपुर व करमदी एसटीपी प्लांट में सीवरेज के ट्रीटेड किये गये पानी का पुर्नउपयोग ;रियूजद्ध का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

नगर निगम द्वारा एसटीपी प्लांट में ट्रीटेड किये गये पानी का उपयोग भवन निर्माणए सिंचाईए उद्यान आदि के उपयोग के लिये नगर निगम से न्यूनतम दर प्राप्त कर सकते है। नगर निगम द्वारा इस पानी का उपयोग छिड़कावए उद्यान सहित अन्य कार्यों में किया जा रहा है।

नालो की सफाई का कार्य निरंतर जारी

रतलाम 7 फरवरी । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के स्वास्थ्य अमले द्वारा नगर के नालों की सफाई का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है।

नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा 7 फरवरी सोमवार को जवाहर नगरए लक्कड़पीठा व जाटो का वास नाले की सफाई का कार्य जेसीबी मशीनए डम्परए व गैंग द्वारा करवाया जाकर सफाई के दौरान निकलने वाले मलबे व कचरे को जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

नगर निगम के विभिन्न करों से 670 लाख हुआ राजस्व प्राप्त

रतलाम 07 फरवरी । संपत्तिकरए जलकरए लायसेंसए राजस्वए विकास शाखाए बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 07 फरवरी सोमवार को कुल राशि रूपये 670190६ का राजस्व प्राप्त हुआ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 07 फरवरी सोमवार को संपत्तिकर षिविर से 120807ए कार्यालय 109721ए वसूली दल 54510 कुल 285038ए जलकर षिविर 37520ए कार्यालय 306542 कुल 344062ए दुकान गुमटी किराया कार्यालय 39890ए स्पॉट फाईन 1200 इस तरह कुल राशि रूपये 670190६ का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ।

आनन्द कॉलोनी में आज लगेगा निगम का बकाया वसूली षिविर

नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली षिविरो का आयोजन

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 6782 लाख व जलकर 1559 लाख की बकाया राशि जमा कराई

रतलाम 07 फरवरी । नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधित करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली षिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण जलकरए दुकानए गुमटी किरायाए लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्त तथा भूभाटक की बकाया राशि जमा करा सकेगें।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3ए28ए822ए. व जलकर 54ए850ए.ए मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1ए62ए575ए. व जलकर 34ए520ए.ए जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3ए02ए013ए. व जलकर 63ए450ए.ए विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए85ए292ए. व जलकर 1ए19ए720ए.ए अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3ए20ए857ए. व जलकर 62ए950ए.ए तिरूपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए28ए977ए. व जलकर 28ए870ए.ए कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए16ए000ए. व जलकर 14ए000ए.ए इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2ए51ए600ए. व जलकर 1ए04ए640ए.ए कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8ए61ए206ए. व जलकर 1ए21ए090ए.ए प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए14ए000ए. व जलकर 47ए000ए.ए डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए54ए422ए. व जलकर 83ए700ए.ए हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1ए71ए500ए. व जलकर 27ए540ए.ए कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1ए96ए281ए. व जलकर 40ए240ए.ए राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1ए45ए000ए. व जलकर 31ए760ए.ए काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3ए36ए077ए. व जलकर 72ए440ए.ए वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98ए534ए. व जलकर 37ए465ए.ए कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87ए732ए. व जलकर 36ए660ए.ए दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2ए91ए455ए. व जलकर 92ए125ए.ए बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4ए97ए298ए. व जलकर 64ए770ए.ए रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1ए59ए241ए. व जलकर 28ए140ए.ए लक्कड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6ए11ए920ए. व जलकर 1ए56ए600ए.ए धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3ए60ए338ए. व जलकर 1ए67ए280ए.ए किरण टॉकिज शिविर में

संपत्तिकर 3ए89ए541६ व जलकर 76ए625६ए आनन्द कालोनी षिविर में संपत्तिकर 1ए20ए807६ व जलकर 37ए520६ की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली षिविरो के वार्ड क्रमांक 28ए 29ए 36ए 37 व 38 के लिये 8 फरवरी को लॉ कॉलेज आनंद कालोनीए वार्ड क्रमांक 28 के लिये 9 फरवरी को प्रताप नगर उद्यान के पासए वार्ड क्रमांक 22 के लिये 10 फरवरी को महावीर नगरए वार्ड क्रमांक 39ए 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहाए वार्ड क्रमांक 25ए 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरूए वार्ड क्रमांक 24ए 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतराए वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पासए वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरीए वार्ड क्रमांक 33ए 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को षास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पासए वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25ए 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहाए वार्ड क्रमांक 30ए 31ए 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में षिविर आयोजित किये गये है।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त षिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये है इन आयोजित षिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

7 फरवरी को 2<sup>ण</sup>33 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 07 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर.घर से पृथक.पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले.सूखे कचरे व सड़को व नाले.नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया टे<sup>अ</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 07 फरवरी सोमवार को 2<sup>ण</sup>33 मिट्रिक कचरा जुलवानिया टे<sup>अ</sup> चिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

07 फरवरी सोमवार को डम्पर से 29895ए ट्रेक्टर से 14480ए काम्पेक्टर सूखा कचरा 17525ए काम्पेक्टर गीला कचरा 17555ए डम्पर नाला मलबा 150435ए मैजिक सूखा 1825 व मैजिक गीला 1560 किलो इस तरह कुल 233275 किलो कचरा जुलवानिया टे<sup>थ</sup> चिंग ग्राउण्ड पहुंचाया गया।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिषत अवैध निर्माण का होगा प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध

रतलाम 07 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध के तहत 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिषत के स्थान पर 30 प्रतिषत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिषत की छूट प्रदान की जा रही है। रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुशोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रषमन ;कम्पाउडिंगद्ध 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

9805 पेंशन हितग्राहियों का हुआ भौतिक सत्यापन

पेंशन पाने वाले हितग्राही अपना भौतिक सत्यापन करवायें

रतलाम 07 फरवरी । रतलाम शहर के सामाजिक सुरक्षाए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशनए राष्ट्रीय विधवा पेंशनए राष्ट्रीय निःशक्त पेंशनए सामाजिक सुरक्षा वृद्धा पेंशनए विधवा पेंशनए निःशक्त पेंशनए मानसिक बहुविकलांग पेंशन प्राप्त करने वाले हितग्राहियों का शासन निर्देशानुसार भौतिक सत्यापन किया जा रहा है जिसके तहत 07 फरवरी तक 9805 पेंशन हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन कर 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए

स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 07 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हें प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हें संकल्प से सिद्धी विषेश अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10ए000६ तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 196० हितग्राहियों को राशि रूपये 20ए000६ ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुकए आधार कार्डए पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही

15 हजार रूपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल

रतलाम 07 फरवरी । षहर की मुख्य सड़के सैलाना रोडए सागोद रोडए महू रोडए स्टेशन रोड सहित अन्य सड़को के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलो के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलो को निर्देशित किया है षहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रूपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें

रतलाम 07 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरूशोत्तम के निर्देशानुसार रतलाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकोंए दुकानदारोए व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं होवें। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।



गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घरए दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक.पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवरए हैल्परए वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घरए दुकानए गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक.पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिषत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 07 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण.2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर.1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित हैए जिसके तहत वार्डों की सड़कए

गलीए सार्वजनिक स्थलए नाले.नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगीए कचरे के ढेरए नाले. नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी। वार्डों की समुचित साफ.सफाई का दायित्व झोन प्रभारीए वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निश्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ.सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचारऽजसंविण्हेमन्तऽ07ण02ण2022ऽनणपाणनिगमए रतलामण